

राजस्थान सरकार  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर

क्रमांक:—एफएसएटी/स्थापना/2021/190

दिनांक:— 21/10/2021


अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है—

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम
1	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021
2	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS प्रारम्भिक परीक्षा 2021

श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है—


1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थान निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राज सेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परपित्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
रजिस्ट्रार

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:— 191-193

1. पीटासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर।
2. श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,  
जयपुर